न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 26 / 2022 दायर दिनाँक 21.01.2022

वादी		प्रतिवादी
1. नवाब खां पुत्र सम्मन खां जाति कायमखानी अध्यक्ष (सदर) मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुड़ली तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शकरू खां पुत्र अकबर खां जाति कायमखानी निवासी कुडली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री नवाब खां वादी स्वयं उपस्थित।
2. श्री शकरू खां प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 23.03.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी शकरू खां के खातेदारी का खेत खसरा सं0 147 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 59 / 353) वाकै शरहद कुडली में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खेत खसरा सं0 147 (पुराना खसरा सं0 59 / 353) में से 2021 वर्गफुट भूमि प्रतिवादी सं0 1 शकरू खां ने मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुडली पंजीयन संख्या 2669 ग्राम कुडली को जरिये पंजीकृत दानपत्र दान कर दी। जो दिनांक 13.2.2014 को पुस्तक सं0 एक जिल्द संख्या 106 में पृष्ठ सं0 194 क्रम सं0 308 / 14 पर पंजीबद्ध हुआ है। जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शित है। उक्त दान दी गई भूमि का नाम व पडौस निम्न प्रकार है।

उत्तर में	— दानदाता शंकरू खां
दक्षिण में	— आम रास्ता
पूर्व में	— याकुब खां का मकान
पश्चिम में	— दानदाता शंकरू खां

यह है कि उपरोक्त पड़ौस बीच की जायगा शकरू खां ने सन 2014 में मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुडली को दान करने के बाद से मदरसा का ही स्वामित्व व कब्जा चला आ रहा है।

यह है कि उपरोक्त भूमि की खातेदारी भूलवश उक्त समय मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुडली के नाम नहीं करवा [illegible] वर्तमान समय में प्रतिवादी सं0 1 शकरू खां के नाम से चली आ रही है। उक्त भूमि मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुडली के नाम नहीं होने से [illegible] प्रकार खतरे में पड़ गये है। इसलिए वादी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी मदरसा इस्लामिया रजा—ए—मुस्तफा कुडली के नाम करवाने बाबत घोषणा व खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि खसरा सं0 147 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 59/353) वाकै सरहद कुडली में से 2021 वर्गफुट भूमि जो मार्क ए बी सी डी से दर्शित की गई है कि खातेदारी मदरसा इस्लामिया रजा–ए–मुस्तफा कुडली के नाम घोषित की जावे व वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार खसरा सं0 147 के रेवेन्यु ट्रेस नक्शे में अमल दरामद की जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा अनुसार डिक्री की जाती है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् राजीनामा अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कुड़ली के खसरा सं0 147 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 59/353) भूमि में से 2021 वर्गफुट भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शित की गई है कि खातेदारी मदरसा इस्लामिया रजा–ए–मुस्तफा कुडली के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.03.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक :- 28/3/22

नोट :- निर्णय में रकबा 2021 वर्गफुट के स्थान पर रकबा 0.031[illegible] ... पढ़ा व समझा जावें।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **26/2022** दायर दिनाँक **21.01.2022**

वादी		प्रतिवादी
1. नवाब खां पुत्र सम्मन खां जाति कायमखानी अध्यक्ष (सदर) मदरसा इस्लामिया रजा–ए–मुस्तफा कुड़ली तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. शकरू खां पुत्र अकबर खां जाति कायमखानी निवासी कुडली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **23.03.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी गिनजानिब मुद्दई श्री अशोक भाकर वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कुड़ली के खसरा सं0 147 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 59/353) भूमि में से 2021 वर्गफुट भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शित की गई है कि खातेदारी मदरसा इस्लामिया रजा–ए–मुस्तफा कुडली के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............

........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.03.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन ... डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

नोट:- निर्णय एवं डिक्री में रकबा 2021 वर्गफुट के स्थान पर रकबा 0.0375 पढ़ा व समझा जावे। दिनांक 28/3/22

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with Oken Scanner